

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, सोमवार, 21 सितम्बर, 2020

भाद्रपद 30, 1942 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश (संसदीय अनुभाग)

संख्या 827 / वि०स० / संसदीय / 89(सं)-2020

लखनऊ, 22 अगस्त, 2020

अधिसूचना प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) विधेयक, 2020 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य—संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) विधेयक, 2020

राज्य में स्थापन एवं संचालन के प्रारम्भिक वर्षों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के स्थापन एवं संचालन हेतु अपेक्षित कतिपय अनुमोदनों तथा निरीक्षणों से छूट प्रदान करने और उससे सम्बन्धित तथा आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

जुद्देशिका : चूंकि राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को चिन्हित करके समावेशी आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के स्थापन तथा संचालन को सरलीकृत करने के लिए अपेक्षित कतिपय अनुमोदनों तथा निरीक्षणों और उससे सम्बन्धित तथा आनुषंगिक मामलों से छूट प्रवर्तित करना समीचीन है;

अतएव, भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

- 1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।
- (3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2-जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

- (क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम, 2020 से है;
- (ख) "अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन जारी अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र से है;
- (ग) "अनुमोदन" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य में किसी उद्यम के स्थापन या संचालन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के किसी विधि के अधीन अपेक्षित किसी अनुज्ञा, अनापित्त, सहमति, अनुमोदन, रिजस्ट्रीकरण, लाईसेंस आदि से हैं;
- (घ) "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य सरकार के किसी विभाग या अधिकरण अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण, सांविधिक निकाय, राज्य का स्वामित्वाधीन निगम, पंचायती राज्य संस्था, नगर पालिका, नगर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास या उत्तर प्रदेश के किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अथवा सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन गठित या स्थापित किसी अन्य प्राधिकरण या अभिकरण से है, जिसे राज्य में किसी उद्यम के स्थापन या संचालन के लिये अनुमोदन प्रदान करने या जारी करने की शक्तियाँ या उत्तरदायित्व सौंपे गये हों;
- (ङ) "आशय घोषणा-पत्र" का तात्पर्य अपेक्षित दस्तावेजों सहित अनुलग्नक—1 के रूप में इसके साथ यथा संलग्न प्रारूप में (भौतिक या इलेक्ट्रानिक प्रारूप में) सूचना उपलब्ध कराकर तथा प्रस्तुत करके अभिव्यक्त कोई उद्यम स्थापित करने/उसे विस्तारित करने/विविधकरण करने के आशय से हैं;
 - (च) "उद्यम" का तात्पर्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से है;
- (छ) "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम" का तात्पर्य समय—समय पर यथा संशोधित "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं विकास अधिनियम, 2006" (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 27 सन् 2006) में यथा परिभाषित किसी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से है;
 - (ज) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;
 - (झ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;
- (ञ) "वाणिज्यिक संचालन का प्रारम्भ" का तात्पर्य ऐसे दिनांक से है जिस दिनांक को कोई उद्यम, इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध कराये गये आशय घोषणा-पत्र से सम्बन्धित विनिर्मित माल या प्रदत्त सेवाओं की प्रथम आपूर्ति देयक / बीजक / कर बीजक जारी करता है;
- (ट) "नवीन उद्यम" का तात्पर्य ऐसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से है जिसके वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ होने का दिनांक, अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को या उसके पश्चात् हो। इसमें विद्यमान उद्यमों द्वारा विस्तारीकरण / विविधीकरण किया जाना सिम्मिलित है जिसमें वे नवीन पूँजी विनिधान के माध्यम से सकल खण्ड में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि करते हैं;
- (ठ) "नोडल अभिकरण" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 5 के अधीन स्थापित नोडल अभिकरण से हैं:
- (ड) "अधिसूचना" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के गजट में प्रकाशित किसी अधिसूचना से है और तद्नुसार शब्द अधिसूचित का तात्पर्य होगा।

3-सरकार, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित दो अधिकार प्राप्त समितियाँ गठित करेगी:-

अधिकार प्राप्त समितियाँ

- (1) **उच्च स्तरीय राज्य अधिकार प्राप्त समिति** :- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में उतने सदस्य होंगे जैसा कि समय—समय पर अधिसूचित किया जाय। एम०एस०एम०ई० एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश का अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव उक्त समिति का सदस्य सचिव होगा;
- (2) जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति :— सम्बन्धित जिला के जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—
 - (1) उप जिला मजिस्ट्रेट (सम्बन्धित) सदस्य
 - (2) क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सदस्य
 - (3) अधिशाषी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड सदस्य
 - (4) उप श्रमायुक्त / सहायक श्रमायुक्त सदस्य
 - (5) क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सदस्य
 - (6) सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय सदस्य (7) जिला अग्निशमन अधिकारी सदस्य
 - (8) उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र

सदस्य–सचिव

4—(1) उच्च स्तरीय राज्य अधिकार प्राप्त समिति ऐसे अन्तर विभागीय नीति स्तरीय बिन्दुओं को चिन्हांकित करेगी जो अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने हेतु आवश्यक है। उक्त बिन्दु, राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण द्वारा उच्च स्तरीय राज्य अधिकार प्राप्त समिति को निर्दिष्ट किये जायेंगे।

अधिकार प्राप्त समितियों के कृत्य

- (2) जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति, अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजनार्थ जिला उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को प्रस्तुत किये गये आशय घोषणा-पत्र (चाहें वह भौतिक प्रारूप में या इलेक्ट्रानिक प्रारूप में हों) को स्वीकृत / अस्वीकृत करेगी।
 - 5-इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित नोडल अभिकरण होंगे:-

नोडल अभिकरण

- (1) राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण :— सरकार और उच्च स्तरीय राज्य अधिकार प्राप्त सिमिति के अधीक्षण निदेश और नियंत्रण के अध्यधीन उद्योग निदेशालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण होगा।
- (2) जिला स्तरीय नोडल अभिकरण :— सरकार और जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के अधीक्षण, निदेश और नियत्रंण के अध्यधीन जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ जिला स्तरीय नोडल अभिकरण होगा।
 - 6-नोडल अभिकरण की शक्तियां और कृत्य निम्नवत् होंगे:-

नोडल अभिकरण के कृत्य

- (1) राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण, जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति/जिला स्तरीय नोडल अभिकरण द्वारा स्वयं के लिये निर्दिष्ट बिन्दुओं को चिन्हित करेगा यदि कोई बिन्दु, नीति निर्माण या अन्तर विभागीय स्तर के बिन्दु से सम्बन्धित हो तो राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण इसे मार्गदर्शन हेत् उच्च स्तरीय राज्य अधिकार प्राप्त समिति को निर्दिष्ट करेगा।
- (2) जिला स्तरीय नोडल अभिकरण, अधिनियम की धारा 8 में यथा परिभाषित जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की संस्तुतियों पर अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र जारी करके राज्य में उद्यम स्थापन के लिये सहायता करेगा और उसे सरलीकृत करेगा। जिला स्तरीय नोडल अभिकरण, प्राप्त आशय घोषणा–पत्र के अभिलेख और इस अधिनियम के अधीन जारी अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र को भी अनुरक्षित करेगा।

(3) सरकार, गजट में अधिसूचना, द्वारा नोडल अभिकरणों को ऐसी अन्य शक्तियाँ और कृत्य समनुदेशित कर सकती है जैसा कि वह इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिये उचित समझे।

आशय घोषणा–पत्र का भरा जाना

- 7—(1) इस अधिनियम के अभिस्वीकृति प्रमाण—पत्र चाहने वाले प्रत्येक नवीन उद्यम को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अनुलग्नक संख्या—1 के साथ यथा संलग्न प्रारूप में जिला स्तरीय नोडल अभिकरण को सम्यक रूप से भरा गया आशय घोषणा—पत्र उपलब्ध कराना होगा :—
 - (क) भूमि से संबंधित आवेदन—पत्र [उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012 के अनुसार)];
 - (ख) विद्युत सुरक्षा से संबंधित आवेदन-पत्र;
 - (ग) प्रदूषण से संबंधित आवेदन-पत्र;
 - (घ) श्रम से संबंधित आवेदन-पत्र;
 - (ङ) अग्नि सुरक्षा से संबंधित आवेदन-पत्र।
- (2) आशय घोषणा—पत्र, सांपित्तिक उद्यम के मामले में प्रबंधन भागीदार द्वारा, भागीदार उद्यम के मामले में प्राधिकृत भागीदार द्वारा और अन्य प्रकार के उद्यमों के मामले में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। यदि उक्त उद्यम का एक से अधिक भू—गृहादि में वाणिज्यिक संचालन हो तो आशय घोषणा—पत्र ऐसे प्रत्येक भू—गृहादि के लिये पृथक—पृथक प्रस्तुत किया जायेगा।
- (3) समस्त रूप में पूर्ण किये गये आशय घोषणा—पत्र प्राप्त होने पर उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के सचिव के रूप में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उक्त घोषणा का विश्लेषण करेगा। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों से संबंधित आशय घोषणा—पत्र के साथ प्राप्त प्रपत्र संबंधित विभागों को ऑनलाइन उपलब्ध कराये जायेंगे। आवेदन—पत्र प्राप्त किये जाने के 72 घंटे के पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित की जायेगी। यदि जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित की जायेगी। यदि जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आवेदन—पत्र प्राप्त किये जाने के 72 घंटे के भीतर आयोजित नहीं की जाती है तो आशय घोषणा—पत्र का अनुमोदन परिपत्र के माध्यम से प्राप्त किया जाना अपेक्षित होगा।

अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाना

- 8—(1) समस्त संबंधित दस्तावेजों सहित उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र/सदस्य सचिव, जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन—पत्र, अभिस्वीकृति प्रमाण—पत्र जारी किये जाने पर विचार किये जाने तथा विनिश्चय किये जाने के लिये जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष रखे जायेंगे।
- (2) अनुलग्नक संख्या—2 के रूप में इसके साथ यथा संलग्न प्रारूप में जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की संस्तुतियों पर उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा अभिस्वीकृति प्रमाण—पत्र जारी किये जायेंगे;
 - (क) समस्त अभिस्वीकृतियां राज्य सरकार के निवेश—मित्र पोर्टल पर अपलोड की जायेंगी;
 - (ख) विकास प्राधिकरणों द्वारा अपनी महायोजना के अनुसार विहित प्रपत्र में आवेदक / उद्यम के भवन योजना अनुमोदन अनुरोध की प्राप्ति पर निर्धारित समय के भीतर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी;
 - (ग) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) के अनुसार भूमि के संबंध में जिला स्तरीय नोडल अभिकरण, कृषि भू—उपयोग परिवर्तन और भूमि सीमा—विस्तार संबंधी अनापित्त प्रमाण—पत्र के लिये समस्त रूप में पूर्ण आवेदन—पत्र प्राप्त किये जाने के 72 घंटे के भीतर अपेक्षित अनुमोदन जारी करेगा। यह जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन के पश्चात् किया जायेगा। यदि आवेदन—पत्र प्राप्त किये जाने के 72 घंटे के भीतर जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त कायेगा। यदि आवेदन—पत्र प्राप्त किये जाने के 72 घंटे के भीतर जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित नहीं की जाती है तो आशय घोषणा—पत्र पर अनुमोदन परिपत्र के माध्यम से प्राप्त किया जाना अपेक्षित होगा।

स्पष्टीकरण :- ऐसा कोई आवेदक / उद्यम, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) में यथापरिभाषित समस्त या कोई अनुमोदन प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के पास गया हो, इस धारा के अधीन कोई उद्यम प्रारम्भ करने हेतु आशय घोषणा—पत्र प्रस्तुत करने हेतु भी विकल्प प्राप्त कर सकता है।

9—(1) इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन जारी कोई अभिस्वीकृति प्रमाण—पत्र, सभी प्रयोजनों के लिए इस रूप में प्रभावी होगा, मानो वह जारी किये जाने के दिनांक से 1000 दिवस की अवधि के लिए धारा 2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित अनुमोदन प्राप्त किया हो, और उक्त 1000 दिवस की समाप्ति के पश्चात् उक्त उद्यम को ऐसी समाप्ति के दिनांक से 100 दिवसों के भीतर धारा 2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा:

अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र का प्रभाव और उसकी विधिमान्यता

परन्तु यह कि महायोजना, जहाँ कहीं प्रवृत्त हो, में यथा विनिर्दिष्ट भू—उपयोग के बदले में किसी भूमि का उपयोग करने हेतु किसी व्यक्ति या उद्यम को अभिस्वीकृति प्रमाण—पत्र हक नहीं प्रदान करेगा। यह सरकार के विभिन्न विधियों के अधीन प्रतिषिद्ध श्रेणी में आने वाली भूमि का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति या किसी उद्यम को हक नहीं प्रदान करेगा। जहाँ उक्त भूमि ग्रामीण क्षेत्र में हो और महायोजना की अधिसूचित क्षेत्र के बाहर हो वहाँ 1000 दिवस की अविध, जिसमें अभिस्वीकृति प्रमाण—पत्र विधिमान्य हो, के लिए कोई कृषि भू—उपयोग संपरिवर्तन अपेक्षित नहीं होगा, और भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, 1000 दिवस की अविध जिसमें अभिस्वीकृति प्रमाण—पत्र विधिमान्य हो, के लिए कोई उद्यम प्रारम्भ करने हेतु ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी नहीं होगा।

- (2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट 1000 दिवस की अवधि के दौरान कोई सक्षम प्राधिकारी धारा 2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित किसी अनुमोदन के प्रायोजनार्थ या तत्सम्बन्ध में कोई निरीक्षण नहीं करेगा।
- (3) औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम, 1976 की धारा 8 और 15 के सिवाय समस्त अन्य धारायें इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रभावी होंगी।

10—जहाँ सरकार या तत्धीन कोई प्राधिकारी किसी उद्यम को किसी अनुमोदन या निरीक्षण अथवा किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन उससे सम्बन्धित किसी उपबन्ध से छूट प्रदान करने में समर्थ हो, वहाँ यथास्थिति सरकार या कोई ऐसा प्राधिकारी ऐसे केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन धारा 8 के अधीन अभिस्वीकृति प्रमाण—पत्र जारी किये जाने के दिनांक से अन्यून 1000 दिवस की अविध के लिए राज्य में स्थापित किसी उद्यम को ऐसी छूट प्रदान करने की शिक्तयों का प्रयोग कर सकता है।

छूट प्रदान किया जाना

- 11—निम्नलिखित मदों का विनिर्माण करने हेतु आशय घोषणा—पत्र प्रस्तुत करने वाले ^{छूट} उद्यमों पर यह अधिनियम लागू नहीं होगाः—
 - (एक) तम्बाकू उत्पाद, गुटखा, पान मसाला इत्यादि;
 - (दो) अल्कोहल, वातयुक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेटेड उत्पाद आदि;
 - (तीन) पटाखों का विनिर्माण;
 - (चार) 40 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक कैरी बैग अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रतिषिद्ध श्रेणी में यथावर्गीकृत मोटाई के प्लास्टिक बैग;
 - (पाँच) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा "लाल श्रेणी" के अधीन अधिसूचित उत्पाद। तथापि "नारंगी" और "हरित" श्रेणी के अधीन श्रेणीकृत उद्योग, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी से सम्यक अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् स्थापित और संचालित किये जाने के लिये पात्र होंगे;
 - (छः) समय–समय पर प्रतिषिद्ध सूची में श्रेणीकृत अन्य उत्पाद।

12—जहाँ कहीं और जब भी अपेक्षित हो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 30 में यथाउल्लिखित सूक्ष्म और लघु उद्यम सरलीकरण परिषद्, मंडलायुक्तों की अध्यक्षता में अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा स्थापित की जायेगी। सम्बन्धित मंडल का संयुक्त आयुक्त, उद्योग परिषद् के सदस्य—सचिव के रूप में कार्य करेगा।

सूक्ष्म और लघु उद्यम सरलीकरण परिषद् की स्थापना व्यावृत्तियाँ

13—धारा 10 के उपबन्धों के अध्यधीन इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों अथवा इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप में उपबन्धित सीमा के सिवाय तद्धीन विनिर्दिष्ट विनियामक उपायों और मानकों के अनुप्रयोग से किसी उद्यम को छूट प्रदान किया हुआ माना जायेगा।

भू–राजस्व बकायों की वसूली 14—यदि कोई उद्यम स्वयं परिसर द्वारा अथवा किसी संस्था या केन्द्र द्वारा किये गये किसी डिक्री, अधिनिर्णय या अन्य आदेश को अपास्त करने के लिए एम०एस०एम०ई०डी० अधिनियम, 2006 की धारा 19 के अधीन कोई अपील प्रस्तुत नहीं करता है अथवा ऐसी अपील समाप्त कर दी जाती है तो उस स्थिति में ऐसी डिक्री, अधिनिर्णय या आदेश का निष्पादन सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा, और देय धनराशि की वसूली भू—राजस्व के बकाये की भाँति की जायेगी।

सद्भावनापूर्वक कृत कार्यवाही 15—इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए सरकार या नोडल अभिकरण या सक्षम प्राधिकरण या सरकार के किसी कर्मचारी, नोडल अभिकरण या सक्षम प्राधिकरण के विरुद्ध कोई वाद अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं की जायेंगी।

किनाइयाँ दूर करने की शक्ति 16—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, जैसा कि उसे कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात इस अधिनियम के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसे किये जाने के पश्चात् राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

नियम बनाने की शक्ति

- 17—(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।
- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम उन्हें बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह अन्यून 14 दिन के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो, रखे जायेंगे, और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे जाते हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं नियमों में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे, या यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसे किसी उपान्तरण या वातिलीकरण से तद्धीन पूर्व में कृत किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकृल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्य व कारण

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को चिन्हित करके राज्य में समावेशी आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि स्थापन एवं प्रचालन के प्रारम्भिक वर्षों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के स्थापन और प्रचालन के लिये अपेक्षित कतिपय अनुमोदनों तथा निरीक्षणों से छूट उपबन्धित करने हेत् एक विधि बनायी जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) विधेयक, 2020 पुरःस्थापित किया जाता है।

> सिद्धार्थ नाथ सिंह, मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन।

उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम, 2020 में किये जाने वाले ऐसे उपबन्धों का ज्ञापन–पत्र, जिसमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त हैं।

उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम, 2020 में किये जाने वाले विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अधिकारों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है—

अधिनियम का खण्ड	विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अधिकारों का संक्षिप्त	
1	2	
14(1)	इसके द्वारा राज्य सरकार को यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कितनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कितनाई के निराकरण के लिये उसे आवश्यक प्रतीत होः परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की कालाविध के समाप्त के पश्चात नहीं किया जायेगा।	
15(1)	इसके द्वारा राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।	

उपर्युक्त प्रतिनिधान सामान्य प्रकार के हैं।

सिद्धार्थ नाथ सिंह, मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन।

> आज्ञा से, प्रदीप कुमार दुबे, प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR Sansadiya Karya Anubhag-1

No. 552/XC-S-1–20-59S-2020 Dated Lucknow, September 18, 2020

NOTIFICATION MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Sookshm, Laghu Evam Madhyam Udyam (Sthaapan Evam Sanchaalan Saralikaran) Vidheyak, 2020" introduced in Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 22, 2020.

THE UTTAR PRADESH MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (FACILITATION OF ESTABLISHMENT AND OPERATION) BILL,

2020

A BILL

to provide for exemption from certain approvals and inspections required for establishment and operation of Micro, Small and Medium Enterprises, for initial years of establishment and operation in the State and matters connected therewith and incidental thereto.

Preamble: WHEREAS, with a view to promote inclusive economic growth and employment generation in the State by addressing specific needs of the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) and to promote entrepreneurship, it is expedient to give effect to exemption from certain approvals and inspections required to faciliate the establishment and operation of Micro, Small and Medium Enterprises in the State and matters connected therewith and incidental thereto.

BE IT ENACTED by the Uttar Pradesh State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows: —

Short title, extent and commencement

- 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2020.
 - (2) It extends to the whole of the State of Uttar Pradesh.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the *Gazette*, appoint.

Definitions

- 2. In this Act, unless the context otherwise requires ,
 - a. "Act" means the Uttar Pradesh Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2020;
 - b. "Acknowledgement Certificate" means the Acknowledgement Certificate issued under section 8 of the Act;
 - c. "Approval" means permissions, no-objection, clearance, consent, approval, registration, license and the like, required under any Uttar Pradesh law in connection with the establishment or operation of an enterprise in the State of Uttar Pradesh;
 - d. "Competent Authority" means any department or agency of the Government or a local authority, statutory body, state owned corporation, Panchayati Raj Institution, Municipality, Urban Development Authorities, Urban Improvement Trust or any other authority or agency constituted or established by or under any Uttar Pradesh law or under administrative control of the Government, which is entrusted with the powers or responsibilities to grant or issue approval for establishment or operation of an enterprise in the State;
 - e. "Declaration of Intent" means intention to establish/ expand/ diversify an enterprise, expressed through furnishing the information and submitting (either in physical or electronic format) on the format as annexed herewith as Annexure no.-1, along with required documents;
 - f. "Enterprise" means micro, small or medium enterprise;
 - g. "Micro, Small or Medium Enterprise" means a Micro, Small or Medium Enterprise, as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (Central Act No. 27 of 2006), as amended from time to time;
 - h. "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;
 - i. "State" means the State of Uttar Pradesh;
 - j. "Commencement of Commercial Operation" means the date on which the enterprise issues the first bill of supply/ invoice/tax invoice, of the goods manufactured or services rendered relating to Declaration of Intent furnished under this Act;
 - k. "New enterprise" means such Micro, Small or Medium Enterprise whose date of commencement of commercial operation is on or after the date of commencement of the Act. It also includes expansion/diversification by existing enterprises wherein they increase their gross block by at least 25 per cent through new capital investment;
 - "Nodal Agency" means the Nodal Agency established under section 5 of the Act;
 - m. "Notification" means a notification published in the *Gazette* of the State of Uttar Pradesh and the word 'notified' shall be construed accordingly.

3. The Government shall by notification establish two empowered committees, as follows:—

Empowered Committees

- (1) High level State Empowered Committee(HSEC):Under the chairmanship of Chief Secretary, Uttar Pradesh, having such members as may be notified from time to time. Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Department of Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) & Export Promotion, Government of Uttar Pradesh being the Member Secretary of the such committee.
- (2) District Level Empowered Committee (DLEC): Under the Chairmanship of District Magistrate of concerned district, having the following members:—

_	, ,	•
1.	Sub Divisional Magistrate (Concerned)	Member
2.	Regional Officer, U.P. Pollution Control Board	Member
3.	Executive Engineer, U.P. Power Corporation Ltd.	Member
4.	Deputy Labour Commissioner/Assistant Labour Commissioner	Member
5.	Regional Manager, U.P. State Industrial Development Corporation (UPSIDC)	Member
6.	Assistant Director, Directorate of Electrical Safety	Member
7.	District Fire Safety Officer	Member

Enterprise Promotion Center (DIEPC)

4. (1) High level State Empowered Committee (HSEC) shall address the inter-departmental policy level issues which are necessary to give effect to the provisions of the Act. Issues shall be referred to High Level State Empower

8. Deputy Commissioner, District Industry and

Committee (HSEC) by the State Level Nodal Agency (SLNA).

Functions of the Empowered Committees

Member/Secretary

- (2) District Level Empowered Committee (DLEC) shall approve/ reject the Declaration of Intent filed (either in physical or electronic format) with District Industry and Enterprise Promotion Center (DIEPC) for the purpose of issuance of Acknowledgement Certificate.
 - 5. The following shall be the nodal agencies for the purpose of this Act:-

(1) State Level Nodal Agency (SLNA): Subject to the superintendence, direction and control of the Government and the High level State Empowered Committee (HSEC), the Directorate of Industries, Department of Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) & Export Promotion, Government of Uttar Pradesh shall be the State level Nodal Agency for the purpose of this Act.

(2) District Level Nodal Agency (DLNA): Subject to superintendence, direction and control of the Government and the District Level Empowered Committee (DLEC), District Industry and Enterprise Promotion Center (DIEPC) shall be the District Level Nodal Agency for the purpose of this Act.

- 6. The powers and functions of the nodal agencies shall be as follows:-
- (1) State Level Nodal Agency (SLNA) shall address the issues referred to it by District Level Empowered Committee (DLEC)/ District Level Nodal Agency (DLNA). If any issue relates to policy making or inter-departmental level, State Level Nodal Agency (SLNA) shall refer it to the High level State Empowered Committee (HSEC) for guidance.
- (2) District Level Nodal Agency (DLNA) shall assist and facilitate establishment of enterprises in the State through issuance of Acknowledgement Certificate on the recommendations of the District Level Empowered Committee (DLEC) as defined in section 8 of the Act. The District Level Nodal Agency (DLNA) shall also maintain the record of Declaration of Intent received and Acknowledgement Certificate issued under this Act.
- (3) The Government may by notification in the *Gazette* assign such other powers and functions to the Nodal Agencies as it may deem fit for giving effect to the provisions of this Act.

Nodal Agencies

Functions of the Nodal Agencies Filing of Declaration of Intent

- 7. (1) Every new enterprise seeking Acknowledgement Certificate under the Act shall furnish a duly filled Declaration of Intent to District Level Nodal Agency (DLNA) on the format as annexed herewith as Annexure no.-1 along with the following documents:—
 - (a) Land related application forms [in accordance with Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act no. 8 of 2012)]
 - (b) Electrical Safety related application form;
 - (c) Pollution related application form;
 - (d) Labour related application form;
 - (e) Fire Safety related application form.
- (2) The Declaration of Intent shall be submitted by the Managing Partner, in case of proprietary enterprise; the Authorized Partner in case of partnership enterprise; and the authorized person in case of other forms of enterprises. In case the enterprise is having commercial operations on more than one premise, a Declaration of Intent shall be submitted for each such premises, separately.
- (3) On receipt of a Declaration of Intent completed in all respects, the Deputy Commissioner, District Industry and Enterprise Promotion Center (DIEPC), as the Member Secretary of the DLEC, shall analyse the declaration under the provisions of this Act. Additionally, forms received with the Declaration of Intent pertaining to other departments shall be made available to the concerned departments online. After 72 hours of receiving of application, meeting of the District Level Empowered Committee (DLEC) shall be held under the Chairmanship of the District Magistrate. In case the District Level Empowered Committee (DLEC) meeting is not convened within 72 hours of receiving the application, approval on Declaration of Intent shall be sought through circulation.

Grant of Acknowledgement Certificate

- 8. (1) All the applications received by Deputy Commissioner, District Industry and Enterprise Promotion Center (DIEPC) /Member Secretary of District Level Empowered Committee (DLEC), along with all related documents, shall be placed before District Level Empowered Committee (DLEC) for deliberating and deciding on issuance of the Acknowledgment Certificates.
- (2) Acknowledgment Certificates shall be issued by Deputy Commissioner, District Industry and Enterprise Promotion Center (DIEPC), on the recommendations of District Level Empowered Committee (DLEC) in the format as annexed herewith as Annexure no.-2:-
 - (a) All acknowledgements shall be uploaded on Nivesh Mitra portal of the State Government;
 - (b) On receipt of building plan approval request of the applicant/ enterprise in the format prescribed by the development authorities, as per their master plan, permission shall be granted within the stipulated time period;
 - (c) Regarding the land, in accordance with the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006, (U.P. Act no. 8 of 2012) the District Level Nodal Agency (DLNA) shall issue the required approval within 72 hours of receiving the competed application complete in all respects for agricultural land use change and land ceiling No-Objection Certificate (NOC). This shall be done after approval of District Level Empowered Committee (DLEC). In case District Level Empowered Committee (DLEC) meeting is not convened within 72 hours of receiving the application, approval on Declaration of Intent shall be sought through circulation.

Explanation: Any Applicant/ enterprise who has moved to the Competent Authority to so obtain all or any of the approvals as defined in clause (c) of section 2 of this Act, before the commencement of this Act may also opt to furnish Declaration of Intent to start an enterprise under this section.

9. (1) An Acknowledgment Certificate issued under section 8 of this Act shall, for all purposes, have effect as if it is an approval as defined in clause (c) of section 2, for a period of 1000 days from the date of its issuance and after the expiry of the said period of 1000 days, the enterprise shall have to obtain required approvals as defined in clause (c) of section 2 within 100 days from the date of such expiry:

Effect and Validity of the Acknowledgement Certificate

Provided, that the Acknowledgement Certificate shall not entitle a person or an enterprise to use a land in deviation to the land use as specified in the master plan wherever such plan is in force. It shall also not entitle a person or an enterprise to use the land falling in restricted category under various laws of the Government. Where the land is in the rural area and outside the master plan notified area, no agricultural land use conversion shall be required for a period of 1000 days wherein Acknowledgement Certificate is valid, and Land Ceiling Act shall also not be effective in such rural areas for starting an enterprise for a period of 1000 days wherein Acknowledgement Certificate is valid.

- (2) During the period of 1000 days specified in sub-section (1), no competent authority shall undertake any inspection for the purpose of, or in connection with, any approval as defined in clause (c) of section 2.
- (3) Except sections 8 and 15 of Industrial Development Area Act, 1976, all other sections shall be effective for the purpose of this Act.
- 10. Where the Government or any authority under it is capable of exempting an enterprise from any approval or inspection or any provision relating thereto, under any Central Act, the Government, as the case may or be any such authority, subject to the provisions of such Central Act, exercise such powers to grant such exemption to any enterprise established in the State for a period of not less than 1000 days from the date of issue of Acknowledgement Certificate under section 8.

Grant of Exemption

11. This Act shall not be applicable on enterprises submitting Declaration of Intent to manufacture following items:—

Exceptions

- i. Tobacco products, gutka, panmasala etc.;
 - ii. Alcohol, aerated drinks, carbonated products etc.;
 - iii. Manufacturing of crackers;
 - iv. Plastic carry bags of less than 40 microns or plastic carry bags of the thickness as classified in prohibited category from time to time by the State Government;
 - v. Products notified under "Red Category" by Uttar Pradesh Pollution Control Board. However, industries categorised under "Orange" and "Green" category shall be eligible to establish and operate after getting due permissions from the Regional Office, State Pollution Control Board:
 - vi. Other such products which are categorised in prohibitory list from time to time.
- 12. Wherever and whenever required, the Micro and Small Enterprises Facilitation Council as mentioned in the section 30 *read* with sub-section (3) of section 21 of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, shall be established for every division by the State Government through notification under the chairmanship of Divisional Commissioners. Joint Commissioner, Industries of the concerned division shall act as a member secretary of the council.

Establishment of Micro and Small Enterprises Facilitation Council Savings

13. Subject to the provisions of section 10, nothing contained in this Act shall be construed as exempting any enterprise from the application of the provisions of any law for the time being in force, or any regulatory measures and standards specified thereunder, except to the extent expressly provided in this Act.

Recovery of Land Revenue Arrears 14. If an enterprise does not file any appeal under section 19 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006 for setting aside any decree, award or other order made either by the Council itself or by any institution or centre or if such appeal is dismissed, in that situation such decree, award or order shall be executed by the concerned District Collector and the amount due shall be recovered as arrears of land revenue.

Protection of action taken in good faith 15. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government or Nodal Agency or Competent Authority or any employee of the Government, Nodal Agency or Competent Authority for anything which, is done or intended to be done in good faith, under this Act or any rules made thereunder.

Power to remove difficulties

16. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the *Gazette*, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no such order under this section shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is made, before each House of the State Legislature.

Power to make rules

- 17. (1) The State Government may, by notification in the *Gazette*, make rules to carry out the provisions of this Act.
- (2) All such rules made under this Act shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before each House of the State Legislature, while it is in session, for a period not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of session immediately following, the House of the State Legislature make any modification in any such rules or resolves that any such rules should not be made, such rules shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be. Any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

To promote inclusive economic development and employment generation in the State by addressing specific needs of the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) and promoting entrepreneurship. It has been decided to make to law to provide exemptions from certain approvals and inspections required for establishment and operation of Micro, Small and Medium Enterprises, for initial years of establishment and operation.

The Uttar Pradesh Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Bill, 2020 is introduced accordingly.

SIDHARTH NATH SINGH,

Mantri,

Sukshm, Laghu avam Madhyam Udyam tatha Niryat Protsahan.

By order, J. P. SINGH-II, *Pramukh Sachiv*.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० २६४ राजपत्र–२०२०–(६६५)–५९९+२५+५=६२९ प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।